**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

 अतारांकित **प्रश्न संख्या-2070**

**जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।**

**दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स)**

**द्वारा सीएजी का सहयोग नहीं किया जाना**

**2070. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तीन विद्युत वितरण कंपनियां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को सहयोग नहीं दे रही हैं और वे सीएजी द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रही हैं;

(ख) यदि हां,तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है और सूचना देने के लिए उन्हें बाध्य किए जाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ)** विद्युत का वितरण एक लाइसेंसी कार्य है । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को विद्युत का विवरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस देने की शक्ति है, अतः राज्यों में वितरण कंपनियां लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए संबंधित एसईआरसी के प्रति उत्तरदायी होती हैं । विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यकरण में केन्द्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अनुसार लेखापरीक्षा दलों द्वारा की गई विभिन्न अपेक्षाओं हेतु रिकार्ड और सूचना प्रस्तुत करने में डिस्कामों द्वारा विलम्ब हुआ है । जीएनसीटीडी ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पत्राचार और बैठकों के माध्यम से हस्तक्षेप किया है और समयबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा दलों को सूचना देने के लिए वितरण कंपनियों को निदेश दिया है।

 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार डिस्कामों की सीएजी लेखा परीक्षा के मामले का दिल्ली उच्च न्यायालय में सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही हे और प्रभावी रूप से सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांक 24 मार्च, 2014 के आदेश में डिस्कामों को सीएजी के साथ पूरी तरह से सहयोग करते रहने का निदेश दिया गया था । सरकार के नामित निदेशकों ने भी डिस्कामों की बोर्ड बैठकों में लेखापरीक्षा में पूरी तरह सहयोग करने पर जोर दिया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*